मैसर्स आर० आर० इंजीनियरिंग कम्पनी

बनाम

जिला परिषद्, बरेली और एक अन्य

(M/s. R. R. Engineering Company

v.

Zila Parishad, Bareilly and Another)

तथा

शीतल प्रसाद और अन्य

बनाम

टाउन ऐरिया कमेटी, कुरौली

(Shital Prasad and Others

v.

Town Area Committee, Kuraoli)

(10 मार्च, 1980)

(मुख्य न्यायाधिपति वाई० वी० चन्द्रचूड़, न्यायाधिपति वी० आर० कृष्ण अय्यर, एन० एल० ऊंटवालिया, पी० एन० सिंघल और ए० डी० कौशल)

यू० पी० टाउन ऐरियाज ऐक्ट, 1914(1914 का 2)—धारा 14(1) (एफ) (1950 के अधिनियम सं० 23 द्वारा यथा-संशोधित)—(सपठित संविधान, 1950—अनुच्छेद 277 तथा अनुसूची 7, सूची 2, मद 49, 60, सूची 1, मद 7)—परिस्थितियों और सम्पत्ति कर का उद्ग्रहण आय पर कर नहीं है—यह एक विधिमान्य कर है और मद सं० 49 और 60 के अन्तर्गत आता है।

यू० पी० क्षेत्र समितीज एण्ड जिला परिषद्स ऐक्ट, 1961 (1961 का 33)—धारा 119 (सपठित संविधान, 1950—अनुच्छेद 276, 277 तथा अनुसूची 7, सूची 2, मद 49, 60 तथा

58, सूची 1, मद 97)—परिस्थितियों और सम्पत्ति कर का उद्ग्रहण आय पर कर नहीं है—यह एक विधिमान्य कर है और मद संख्या 49, 60 तथा 58 के अन्तर्गत आता है।

अपीलार्थी एक भागीदारी फर्म है जो कि मशीनरी तथा उसके यन्त्रों के निर्माण तथा विक्रय सम्बन्धी कारबार करती है। जिला बोर्ड अधिनियम, 1922 की धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन कार्यवाही करते हुए बरेली के जिला बोर्ड ने तारीख 13 फरवरी, 1928 वाले संकल्प द्वारा यह विनिश्चय किया कि परिस्थितियों और सम्पत्ति को देखते हुए व्यक्तियों पर हैसियत एवं सम्पति कर अधिरोपित किया जाए। इसके लिए उपबन्ध तैयार किया गया। तत्पश्चात् एक अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने यह निदेश दिया कि परिस्थितियों तथा सम्पत्ति पर कर की जो रकम जिला बोर्ड द्वारा किसी एकल निर्धारिती पर अधिरोपित की जाती है वह एक वर्ष में 2,000 रुपए की राशि से अधिक नहीं होगी। इसी बीच यू० पी० अन्तरिम जिला परिषद् अध्यादेश, 1958 अधिनियमित किया गया जिसका सम्बन्ध स्थानीय स्वायत्त सरकार के अन्तरिम प्रशासन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों से था। तत्पश्चात् यू० पी० क्षेत्र समितीज़ एण्ड जिला परिषद्स ऐक्ट, 1961 (1961 का 33) पारित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 274 द्वारा यू० पी० डिस्ट्रिक्ट्स बोर्ड ऐक्ट, 1922 को तथा यू० पी० अन्तरिम जिला परिषद् ऐक्ट को भी नियत तारीख से निरसित कर दिया गया। इस पर प्रत्येक जिले में जिला परिषद् का गठन किया गया और उसमें जिला बोर्डों की शक्तियों तथा कृत्यों को निहित किया गया। अपीलार्थी पर 1955-56 वाले वर्ष के लिए 2,000 रुपए का कर निर्धारण किया गया और उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उसकी सांविधानिक विधिमान्यता पर आक्षेप करते हुए रिट पिटीशन फाइल किया। एकल न्यायाधीश ने पिटीशन को खण्ड न्यायपीठ को निर्दिष्ट किया और उसने उसे पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष रखा। पूर्ण न्यायपीठ ने रिट पिटीशन खारिज कर दिया, किन्तु अपीलार्थी को प्रमाणपत्र अनुदत्त किया कि वह उच्चतम न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 132(1) तथा 133(1) (ङ) के अधीन इस न्यायालय में अपील कर सकता है। सिविल अपील सं० 564/1973 में अपीलार्थियों को, परिस्थितियों और सम्पति कर से निर्धारित किया गया और यह निर्धारण टाउन ऐरिया कमेटी, कुरौली द्वारा 1961-64 वाले वर्षों के लिए था। अपीलार्थियों ने इस पर वाद फाइल किया और कर की विधिमान्यता को चुनौती दी। इस वाद को मुन्सिफ ने इस आधार पर डिक्री कर दिया कि परिस्थितियों और सम्पत्ति पर कर वास्तव में आय पर कर है और

1980(3) eILR(PAT) SC 1

चूंकि संविधान के प्रवृत्त होने से पूर्व नगर क्षेत्र समिति के लिए ऐसा कर उद्गृहीत करना विधिपूर्ण नहीं था इसलिए वह संविधान के अनुच्छेद 277 द्वारा व्यावृत्त नहीं होता। समिति ने उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील फाइल की, किन्तु उसे सिविल न्यायाधीश, मैनपुरी द्वारा खारिज कर दिया गया। दूसरी बार अपील किए जाने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया और समिति की अपील मंजूर कर ली और यह निदेश दिया कि अपीलार्थी के वाद को खारिज कर दिया जाए। जिस एकल न्यायाधीश ने द्वितीय अपील का विनिश्चय किया उन्होंने मैसर्स आर० आर० इंजीनियरिंग कम्पनी, ए० आई० आर० 1970 इलाहाबाद 316 वाले मामले में पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चयों का अनुसरण किया जिससे कि तत्सम्बंधी अपीलें उद्भूत हुई हैं। उच्चतम न्यायालय में की गई अपीलों को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित—परिस्थितियों तथा सम्पत्ति पर कर संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 की पद 49 तथा 60 के प्रति निर्देशित किया जा सकता है और अन्य मदों के अन्तर्गत वह उस सूची की मद 58 के प्रति निर्देशित किया जा सकता है। इसलिए कर की विधिमान्यता को कायम रखना होगा। (पैरा 21)

यह तथ्य कि आक्षेपकृत कर के संघटकों में से एक संघटक अर्थात् परिस्थितियों का संघटक प्रविष्टि 60 के अलावा अन्य प्रविष्टियों के प्रति निर्दिष्ट किया जा सकता है और उसके बारे में यह अर्थान्वयन नहीं किया जाना चाहिए कि वह स्थानीय प्राधिकारियों पर निःसीम मांग प्रदत्त करता है कि वे ऐसे निर्धारितियों पर जो कि उनकी अधिकारिता के अध्यधीन हो अननुपातिक रूप से अतिशय उद्ग्रहण अधिरोपित करे। परिस्थितियों पर अतिशय उद्ग्रहण आय पर कर तथा परिस्थितियों पर कर के बीच प्रभेद को अस्पष्ट बना देने की प्रवृत्ति रखता है। ऐसी दशा में आय, कर का मात्र माप-मान अथवा मापदण्ड नहीं होगी, और वह स्वयं कर की विषयवस्तु बन जाएगी। इस निमित्त निर्बन्धन स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए प्रज्ञावान उपचार होगा। (पैरा 22)

यह अनावश्यक और वस्तुतः त्रुटिजनक है कि परिस्थितियों और सम्पत्ति पर कर से बचने के प्रयोजन के लिए संविधान के अनुच्छेद 277 का आश्रय लिया जाए। किसी कर का नाम मात्र विधायी सक्षमता पर निर्भर नहीं करता और किसी विशिष्ट नाम द्वारा कर के अभिव्यक्त रूप से प्रगणित

1980(3) eILR(PAT) SC 1

किए जाने का अभाव इस बात को न्यायोचित नहीं ठहराएगा कि विधायी प्राधिकार की जांच को अवशिष्ट प्रविष्टि के रूप में माना जाएगा। जो बात अन्य अधिकारिताओं में सही है वह विधि की इस शाखा में भी सही है अर्थात् यह कि मामले के सार पर विचार किया जाए, न कि उसके नाम पर जहां तक नगर क्षेत्र समितियों का सम्बन्ध है अनुच्छेद 277 आक्षेपकृत कर से नहीं बचाएगा क्योंकि वह नगर क्षेत्र समिति द्वारा टाउन ऐरिया ऐक्ट की धारा 14 के खण्ड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में उद्गृहीत किया गया था, जो अधिनियम संविधानोत्तर संसद् द्वारा पुरःस्थापित किया गया था। (पैरा 23)

उलट दिया गया निर्णय

		पैरा
[1970]	ए० आई० आर० 1970 इलाहाबाद 316 : **मैसर्स आर० आर० इंजीनियरिंग कम्पनी बनाम जिला परिषद्, बरेली** (M/s. R. R. Engineering Co. *v.* Zila Parishad, Bareilly).	9,10,13, 17, 23

अनुमोदित निर्णय

[1970]	ए० आई० आर० 1970 इलाहाबाद 561 (पूर्ण न्यायपीठ) : **दि नोटिफाइड एरिया कमेटी और एक अन्य बनाम श्रीराम सिंहासन प्रसाद कलवार** (The Notified Area Committee and Another *v.* Sri Ram Singhasan Prasad Kalwar).	9,21,23

निर्दिष्ट निर्णय

[1969]	ए० आई० आर० 1969 इलाहाबाद 40 (पूर्ण न्यायपीठ) : **जिला परिषद्, मुजफ्फरनगर और एक अन्य बनाम जुगल किशोर राम स्वरूप और एक अन्य** (Zila Parishad, Muzaffarnagar and Another *v.* Jugal Kishore Ram Swarup and Another);	17, 20, 21

1980(3) eILR(PAT) SC 1

[1961]	1961 ए० एल० जे० 747 : रघुबीर सिंह बनाम टाउन ऐरिया कमेटी (Raghubir Singh *v.* Town Area Committee);	15
[1957]	ए० आई० आर० 1957 इलाहाबाद 433 : वेस्टर्न यू० पी० इलेक्ट्रिक पॉवर एण्ड सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, इटावा बनाम टाउन ऐरिया जसवन्त नगर (Western U. P. Electric Power and Supply Co. Limited, Etawah *v.* Town Area Jaswant Nagar);	15
[1956]	[1956] एस० सी० आर० 664 : पण्डित राम नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Pandit Ram Narain *v.* The State of Uttar Pradesh);	16, 21
[1955]	1955 ए० एल० जे० 630 : टाटा ऑयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड बनाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इलाहाबाद (Tata Oil Mills Company Limited *v.* District Board of Allahabad);	15
[1948]	ए० आई० आर० 1948 इलाहाबाद 382 (पूर्ण न्यायपीठ) : डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद बनाम प्राग दत्त (District Board of Farrukhabad *v.* Prag Dutt);	15, 16, 21
[1944-45]	72 इण्डियन अपील्स 91 : गवर्नर जनरल इन काउन्सिल बनाम प्राविन्स ऑफ मद्रास (Governor-General in Council *v.* Province of Madras);	16

[1936] [1936] ए॰ सी॰ 352 :
गवर्नमेंट ऑफ आयरलेंड ऐक्ट के अधीन निर्देश के मामले में
(Re. a Reference under Government of Ireland Act). 16

सिविल अपीली अधिकारिता : 1970 की सिविल अपील सं॰ 1528

सिविल प्रकीर्ण रिट सं॰ 37/67 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 23 मई, 1969 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील।

अपीलार्थी की ओर से (सिविल अपील सं॰ 1528/17 में) — सर्वश्री योगेश्वर प्रसाद, एस॰ के॰ बग्गा, श्रीमती एस॰ बग्गा, अशोक श्रीवास्तव और श्रीमती रानी छाबड़ा

अपीलार्थी की ओर से (सिविल अपील सं॰ 564/73 में) — श्री ई॰ सी॰ अग्रवाल

प्रत्यर्थी की ओर से (सिविल अपील सं॰1528/70 में) — सर्वश्री के॰ सी॰ अग्रवाल और एम॰ एम॰ एल॰ श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी की ओर से (सिविल अपील सं॰ 564/73 में) — सर्वश्री जे॰ पी॰ गोयल और एस॰ के॰ जैन

अभिलेख-अधिवक्ता

अपीलार्थी की ओर से (सिविल अपील सं॰ 1528/70 में) — श्री एस॰ के॰ बग्गा

अपीलार्थी की ओर से (सिविल अपील सं॰ 564/73 में) — श्री ई॰ सी॰ अग्रवाल

प्रत्यर्थी की ओर से (सिविल अपील सं॰ 1528/70 में) — श्री एम॰ एम॰ एल॰ श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी की ओर से (सिविल अपील सं॰ 564/73 में) — श्री एस॰ के॰ जैन

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायाधिपति वाई॰ वी॰ चन्द्रचूड़ ने दिया।

मुख्य न्यायाधिपति चन्द्रचूड़—

ये दोनों अपीलें उत्तर प्रदेश से की गई हैं जिनके अन्तर्गत उद्ग्रहण की विधिमान्यता का प्रश्न अन्तर्वलित है जिसका नाम किंचित् असाधारण अर्थात् 'परिस्थितियां और सम्पत्ति कर' है। 1970 की सिविल अपील सं० 1528 उस प्रमाणपत्र द्वारा की गई है जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 122(1) तथा 133(1) (ग) के अधीन अनुदत्त विशेष इजाज़त के आधार पर मंजूर है।

2. जिन तथ्यों के परिणामस्वरूप यह सिविल अपील सं० 1528/1970 उद्भूत हुई है वे निम्नलिखित हैं—

अपीलार्थी मैसर्स आर० आर० इंजिनियरिंग कम्पनी एक भागीदारी फर्म है जो मशीनरी, मशीन संयंत्रों के विनिर्माण तथा विक्रय संबंधी कारबार में संरचनात्मक इंजिनियरों के रूप में लगी हुई है। इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय क्लटर बकगंज में स्थित है जो कि किसी समय बरेली जिला बोर्ड की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत था। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, 1922 की धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन कार्यवाही करते हुए जिला बोर्ड, बरेली ने तारीख 13 फरवरी, 1928 के संकल्प सं० 3 द्वारा यह विनिश्चय किया कि लोगों पर उनकी 'परिस्थितियां तथा सम्पत्ति कर' अधिरोपित किया जाए। अधिनियम की धारा 172 के अधीन नियम 7, 10 मार्च, 1928 को प्रकाशित उक्त कर के निर्धारण तथा संग्रहण के लिए विरचित किया था जिसमें किसी एकल निर्धारिती पर 2,000 रुपये के अधिकतम निर्धारण के लिए उपबंध किया गया था। तत्पश्चात् तारीख 29 मार्च, 1933 की अधिसूचना द्वारा अधिनियम की धारा 114(डी) के अधीन राज्य सरकार को यह निदेश दिया गया था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा किसी एकल निर्धारिती पर अधिरोपित कर की कुल रकम, जो परिस्थितियों और सम्पत्ति पर लगाई जाएगी, किसी एक वर्ष में 2,000 रुपये की राशि से अधिक नहीं होगी।

3. राज्य सरकार द्वारा 20 अप्रैल, 1958 को उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् अध्यादेश, 1958 अधिनियमित किया गया जिसमें ग्राम्य क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त सरकार के आंतरिक प्रशासन के लिए अंतरिम जिला परिषदों की स्थापना हेतु व्यवस्था की गई और इस प्रकार आर्थिक तथा सामाजिक आयोजन से सम्बन्धित समन्वित कार्यकलाप के प्रशासन के लिए जिला परिषदों की स्थापना की जाना सुगम बनाया गया और साथ ही साथ

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थानीय स्वायत्त सरकार की स्थापना को भी सुगम बनाया गया। इस अध्यादेश को उत्तर प्रदेश जिला परिषद् अधिनियम, 1958 द्वारा निरसित कर दिया गया।

4. 1961 में यू० पी० क्षेत्र समितीज़ एण्ड जिला परिषद्ध ऐक्ट, 1961 (1961 का 33) पारित किया गया। उस अधिनियम की धारा 374 द्वारा यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, 1922 उस तारीख से निरसित कर दिया गया जिसकी कि क्षेत्र समितियों की जिला में स्थापना की गई थी और यू० पी० अंतरिम जिला परिषद् ऐक्ट को उस तारीख से निरसित किया गया जिसको कि किसी जिला परिषद् की स्थापना की गई हो। जिला बोर्डों की शक्तियां तथा कृत्य अंतरिम जिला परिषदों में निहित किए गए और उन्हें अंतरित किए गए और उनसे लेकर वे ज़िला परिषदों को सौंप दिए गए जब कि जिला में उनकी स्थापना की गई।

5. यू० पी० क्षेत्र समितीज एण्ड जिला परिषद्स ऐक्ट, 1961 की धारा 119 द्वारा जिला परिषदों को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे 'परिस्थितियां तथा सम्पत्ति कर' अधिरोपित कर सकें अतः अधिनियम की धारा 120 में यह उपबन्ध किया गया है कि जहां निगम तारीख से पूर्व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, 1922 के अधीन 'परिस्थितियां और सम्पत्ति कर' प्रवृत्त था वहां जिला परिषद् द्वारा उन्हीं दरों पर और उन्हीं शर्तों के अधीन जिन पर कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट के अधीन उद्गृहीत किया जाता रहे। धारा 131 में यह उपबन्ध किया गया है कि कर की कुल रकम ऐसी रकम से अधिक नहीं होगी जो कि अधिनियम के अधीन विरचित नियमों द्वारा विहित की जाए। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, 1928 की धारा 172 के अधीन विरचित नियम 7, जो कि किसी एकल निर्धारिती पर 2,000 रुपये के अधिकतम उद्ग्रहण के लिए उपबन्ध करता है तब तक प्रवृत्त बना हुआ है जब तक कि 1961 के अधिनियम के अधीन नियम विरचित नहीं किए जाते।

6. अपीलार्थी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय जो कि बरेली के जिला बोर्ड की अधिकारिता के अन्तर्गत स्थित था अब जिला परिषद्, बरेली की अधिकारिता के भीतर आ गया है। 'परिस्थितियां और सम्पत्ति कर' जो कि बरेली जिला बोर्ड द्वारा उद्गृहीत किया जा रहा था अब बरेली के जिला परिषद् द्वारा उद्गृहीत किया जा रहा है।

7. चूंकि अपीलार्थी का कर-निर्धारण 1965-66 वाले वर्ष के लिए 2,000 रुपये किया गया है इसलिए उसने उस कर की सांविधानिक विधिमान्यता

1980(3) eILR(PAT) SC 1

पर आक्षेप करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन सं० 37/967 फाइल किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस पिटीशन को खण्ड न्यायापीठ के समक्ष निर्दिष्ट कर दिया और उसने उसे पूर्ण न्यायपीठ के प्रति निर्दिष्ट किया। पूर्ण न्यायपीठ ने, जो कि न्यायाधिपति आर० एस० पाठक, न्या० एम० एम० बेग और न्या० एच० पी० त्रिपाठी से मिलकर गठित की गई थी, रिट पिटीशन को खारिज कर दिया गया किन्तु अपीलार्थी को संविधान के अनुच्छेद 132(1) तथा 133(1) (ङ) के अधीन इस न्यायालय को अपील करने का प्रमाणपत्र अनुदत्त कर दिया।

8. सिविल अपील सं० 564/1973 में अपीलार्थी जो कि कुरौली जिला मेनपुरी के निवासी हैं, कुरौली की टाउन ऐरिया कमेटी द्वारा 'परिस्थितियां तथा सम्पत्ति पर कर' 1961-64 वाले वर्षों के लिए निर्धारित किए गए थे। यह कर यू० पी० टाउन ऐरियाज़ ऐक्ट, 1914 [(यू० पी० टाउन ऐरियाज) (वैलिडेशन एण्ड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1950 द्वारा यथासंशोधित] धारा 14 (एफ) के अधीन उद्गृहीत किया गया था जो कि नगर क्षेत्र समितियों को इस बात के लिए सशक्त करती है कि वे लोगों पर उनकी 'परिस्थितियां और सम्पत्ति' के अनुसार ऐसा कर लगाएं जो ऐसी दर से अधिक न हो तथा उन परिसीमाओं तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन हो जो कि विहित की जाएं।

9. अपीलार्थियों ने कर की विधिमान्यता पर आक्षेप करने के लिए 1964 का सं० 62 नामक वाद फाइल किया। वह वाद विद्वान मुंसिफ मुंशिर द्वारा इस आधार पर डिक्री कर दिया गया कि 'परिस्थितियों तथा सम्पत्ति' पर कर वास्तव में तथा सारवान् रूप से आय पर कर है और चूंकि संविधान से पूर्व टाउन ऐरिया कमेटी के लिए यह विधिपूर्ण नहीं था, इसलिए वह संविधान के अनुच्छेद 277 द्वारा व्यावहृत नहीं था। उस निर्णय के विरुद्ध समिति द्वारा फाइल की गई अपील विद्वान सिविल न्यायाधीश, मेनपुरी द्वारा खारिज कर दी गई, किन्तु 1966 की सं० 2859 वाली द्वितीय अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तारीख 29 नवम्बर, 1972 वाले अपने निर्णय द्वारा तत्प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया, समिति की अपील को मंजूर कर लिया तथा अपीलार्थी के वाद को खारिज करने का आदेश दिया। विद्वान एकल, न्यायाधीश ने, जिन्होंने की द्वितीय अपील का विनिश्चय किया था, मैसर्स आर० आर० इंजीनियरिंग कम्पनी वाले मामले[1] में उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ

[1] ए० आई० आर० 1970 इलाहाबाद 316.

1980(3) eILR(PAT) SC 1

के विनिश्चयों का अनुसरण किया। पूर्वोक्त मामले से यहां सम्बद्ध अपीलें उद्भूत हुई हैं, अर्थात् (1) सिविल अपील सं० 1528/1970 तथा (2) दी नोटीफाइड ऐरिया कमेटी और एक अन्य बनाम श्री राम सिंहासन प्रसाद कलवार[1]। उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थियों ने इस न्यायालय से विशेष इजाजत लेकर यह अपील फाइल की है।

10. तीन विद्वान न्यायाधीशों ने, जिनके द्वारा आर० आर० इंजीनियरिंग कम्पनी वाले मामले[2] में उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ गठित थी, अलग-अलग निर्णय सुनाए, किन्तु वे अन्ततः एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, हालांकि उनकी युक्तियों की प्रक्रिया का आधार समान नहीं था। उच्च न्यायालय के समक्ष यह दलील दी गई कि 'परिस्थितियां तथा सम्पत्ति' पर कर वृत्तियों, व्यवसायों तथा नौकरियों पर कर था और इसलिए किसी एक व्यक्ति की बाबत कर की कुल रकम संविधान के अनुच्छेद 276(2) के आधार पर दो सौ पचास रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं हो सकती थी। इसके अलावा, यह दलील दी गई कि हालांकि अनुच्छेद 276(2) का परन्तुक ऐसी दशा में वृत्तियों, व्यापारों, व्यवसायों तथा नौकरियों पर दो सौ पचास रुपये वर्ष से अधिक कर उद्गृहीत किए जाने के योग्य बनाता है, जिसमें कि संविधान के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व वित्तीय वर्ष में कर अधिरोपित किया जा रहा था, जो प्राधिकारी अब कर अधिरोपित करने की ईप्सा कर रहा है उस प्राधिकारी से भिन्न है जो कि संविधान के प्रवृत्त होने से अव्यवहित पूर्व कर अधिरोपित कर रहा था, वहां यह परन्तुक लागू नहीं होगा। न्यायाधिपति आर० एस० पाठक तथा न्यायाधिपति एम० एच० बेग ने इस दलील को नामंजूर कर दिया कि 'परिस्थितियां तथा सम्पत्ति' पर कर वृत्तियों, व्यापारों, व्यवसायों अथवा नौकरियों पर कर है। परिणामस्वरूप, उन्होंने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 276(2) में अन्तर्विष्ट परिसीमा, जिसका आशय यह है कि किसी राज्य को अथवा राज्य में स्थित किसी नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति की बाबत संदेय कुल रकम वृत्तियों, व्यापारों, व्यवसायों तथा नौकरियों पर करों के रूप में दो सौ पचास रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होगी, लागू नहीं होती है। न्यायाधिपति पाठक ने यह अभिनिर्धारित किया कि 'परिस्थितियां और सम्पत्ति' पर कर एक संश्रित कर है और यद्यपि किसी व्यक्ति की हैसियत तथा संपत्ति परस्पर-सम्बद्ध तन्तु हैं जो कि कर की रचना में समाविष्ट होते हैं, कर के बारे

[1] ए० आई० आर० 1970 इलाहाबाद 561.

[2] ए० आई० आर० 1970 इलाहाबाद 316.

में यह नहीं समझा जा सकता कि वह एकल नामकरण के अधीन दो सुभिन्न करों के रूप में है। विद्वान न्यायाधिपति के कथनानुसार, परिस्थितियों और संपत्ति पर कर एकल कर है जो कि कुल मिलाकर अन्य करों की अपेक्षा प्रथक् तथा सुभिन्न अनन्यता रखता है और न तो उसे वृत्तियों, व्यापारों, व्यवसायों अथवा नौकरियों पर कर के सवरूप समझा जा सकता है और न ही वह संपत्ति पर कर के समरूप है; दूसरे शब्दों में जो संघटक तत्व कर की रचना में समाविष्ट होते हैं उनका पृथक्करण नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न पर कि क्या संविधान के प्रारम्भ होने से पूर्व, जिला बोर्डों द्वारा उद्गृहीत 'परिस्थितियां और संपत्ति' कर तत्पश्चात् उद्गृहीत किया जा सकता है, विद्वान न्यायाधिपति ने संविधान के अनुच्छेद 277 का अवलम्ब लिया और कहा कि वह कर के निरन्तर रूप से अधिरोपित किए जाने को प्राधिकृत करता है। विद्वान न्यायाधिपति ने यह कहा कि जब संविधान प्रवृत्त हुआ, तो 'परिस्थितियां और संपत्ति' पर कर सप्तम अनुसूची की तीनों सूचियों में से किसी भी सूची में नहीं रखा गया था और इसलिए वह अवशिष्ट प्रविष्टि के अधीन रखा गया था अर्थात् सूचि 1 की प्रविष्टि 97 में जो कि किसी ऐसे विषय के प्रति निर्देश करती है जो सूची 1 में किसी अन्य प्रविष्टि में प्रगणित न हो अथवा सूची 2 तथा 3 में किन्हीं प्रविष्टियों में अन्तर्विष्ट न हो।

11. न्यायाधिपति एम० एच० बेग ने मुख्य रूप से न्यायाधिपति पाठक के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की जो यह था कि 'परिस्थितियां और संपत्ति' पर कर एक संश्रित कर था, न कि केवल वृत्तियों, व्यापारों, व्यवसायों अथवा नौकरियों पर कर और इसलिए अनुच्छेद 276(2) द्वारा अधिरोपित सीमा कर को लागू नहीं होती थी। विद्वान न्यायाधिपति के कथनानुसार, कर की बाबत सुसंगत जांच अर्थात् कर का विधिक आधार क्या है अथवा वह कारण क्या है जिसके बिना कोई कर अधिरोपित नहीं किया जा सकता? उन्होंने यह कह कर उस प्रश्न का उत्तर दिया कि इसका सर्वोत्तम उत्तर यह हो सकता है कि 'परिस्थितियां और संपत्ति' पर कर किसी व्यक्ति की प्रास्थिति पर कर है। विद्वान न्यायाधिपति बेग ने न्यायाधिपति पाठक के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की कि संविधान के अधिनियमित किए जाने के पश्चात् अनुच्छेद 277 कर के निरन्तर रूप से अधिरोपित किए जाने को प्राधिकृत करता है।

12. न्यायाधिपति त्रिपाठी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के एक पूर्ववर्ती निर्णय का अनुसरण किया और यह अभिनिर्धारित किया कि 'परिस्थितियां और संपत्ति' पर कर वृत्तियों, व्यापारों, व्यवसायों

1980(3) eILR(PAT) SC 1

अथवा नौकरियों पर कर की प्रकृति का है। इसलिए, अनुच्छेद 276(2) द्वारा विहित परिसीमा लागू होगी, किन्तु उक्त अनुच्छेद का परन्तुक कर के अधिरोपण से व्यावृत्ति प्रदान करता है, भले ही वह दो सौ पचास रुपये वार्षिक से अधिक न हो, क्योंकि कर संविधान के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व वित्तीय वर्ष में प्रवृत्त था और संसद् ने तत्प्रतिकूल कोई उपबन्ध विधि द्वारा नहीं बनाया था। यह दलील कि परन्तुक केवल तभी लागू होगा जब कर अधिरोपित करने वाले प्राधिकारी संविधान के अधिनियमित किए जाने के पश्चात् वही रहता है जिसने कि संविधान के अव्यवहित पूर्व ऐसा कर लगाया था—इससे न्यायाधिपति ने इस आधार पर नामंजूर कर दिया कि परन्तुक के प्रयोजनों के लिए जो अब महत्वपूर्ण है वह उस प्रयोजन की अनन्यता है जिसके लिए कि कर अधिरोपित किया गया था और किया जा रहा है तथा उसके प्रवर्तन का क्षेत्र क्या है, न कि उस प्राधिकारी की अनन्यता जो कर अधिरोपित करता है।

13. इसकी समकक्ष अपील सं० 564/1973 में एक भिन्न विचार्य विषय महत्वपूर्ण ढंग से उद्भूत हुआ था, अर्थात् यह कि संविधान के प्रारम्भ होने से पूर्व वित्तीय वर्ष में कर प्रवृत्त नहीं था। चूंकि निर्धारण नगर क्षेत्रीय समिति द्वारा यू० पी० टाउन ऐरियाज ऐक्ट की धारा 14(एफ) के अधीन किया गया था, जो कि 1950 के एक संविधानोत्तर संशोधन द्वारा पुन:स्थापित की गई थी, इसलिए अनुच्छेद 276(2) का परन्तुक लागू नहीं होता था और इसलिए दो सौ पचास रुपये प्रति वर्ष से अधिक उद्ग्रहण परन्तुक द्वारा व्यावृत्त नहीं किया जा सकता था तथा कर वृत्तियों, व्यापारों इत्यादि की बाबत होगा। किन्तु उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने **आर० आर० इंजिनियरिंग कम्पनी वाले मामले**[1] में पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय का अनुसरण करते हुए कर की विधिमान्यता को कायम रखा।

14. हमारे सामने भिन्न मुख्य संविवाद अनुच्छेद 276 के लागू किए जाने पर केन्द्रित हैं और दलील यह दी गई है कि दो सौ पचास रुपये प्रति वर्ष से अधिक आक्षेपकृत कर अविधिमान्य है। श्री ई० सी० अग्रवाल द्वारा, जो कि सिविल अपील सं० 564/1973 में अपीलार्थी की ओर से हाजिर हुए, यह दलील दी गई कि हालांकि सूची 2 की प्रविष्टि 60 राज्य विधान-मण्डलों को इस बात के लिए सशक्त करती है कि वे वृत्तियों, व्यापारों, व्यवसायों तथा नौकरियों पर कर लगाए, उस शक्ति का प्रयोग निश्चित रूप

---

[1] ए० आई० आर० 1970 इलाहाबाद 316.

से संविधान के अनुच्छेद 276 (2) द्वारा सीमित है। विद्वान न्यायाधिपति के कथनानुसार, अनुच्छेद 276 (2) में अन्तर्विष्ट सांविधानिक परिसीमा को पूरी तरह प्रभावशील बनाया जाना चाहिए और परिसीमा का अतिक्रमण राज्य विधानमण्डल द्वारा सूची 2 में दो अथवा अधिक प्रविष्टियों को जोड़कर समेकित कर अधिरोपित करते हुए मिथ्या ब्याज अपनाकर नहीं किया जा सकता। काउन्सेल ने आगे यह दलील दी कि राज्य विधानमण्डल विधायी प्रविष्टियों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों की कृत्रिम परिभाषा करके कर लगाने की अपनी शक्ति को अतिव्याप्त नहीं कर सकता है। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार कि वह 'माल विक्रय' की कृत्रिम परिभाषा द्वारा किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, जिससे कि वह अपनी परिधि से बाहर आने वाली विषयवस्तु की बाबत विधान बनाने की शक्ति का प्रयोग कर सकता, उसी प्रकार वह उस अभिव्यक्ति की कृत्रिम तथा आभासी अर्थबोध द्वारा परिस्थितियों पर कर उद्ग्रहण करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता जिससे कि वह आय पर कर अधिरोपित करने की शक्ति अर्जित कर सके। अन्ततः, श्री अग्रवाल द्वारा तथा श्री योगेश्वर प्रसाद द्वारा जो कि समकक्ष अपील में हाजिर हुए थे, ने यह दलील दी कि 'परिस्थितियों पर कर' उद्गृहीत करने की शक्ति चूंकि वृत्तियों, व्यापारियों इत्यादि पर कर लगाने की शक्ति अनुषंगी नहीं है, इसलिए निचोड़ तथा सार (पिथ एण्ड सब्सटेन्स) का सिद्धान्त लागू नहीं होता था और वह 'परिस्थितियां तथा सम्पत्ति' पर आक्षेपकृत कर से नहीं बचाता था।

15. 'परिस्थितियां और सम्पत्ति' पर कर की विधिमान्यता की प्रकृति के बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा बहुत समय से विचार किया जाता रहा है जैसा कि विभिन्न पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चयों से स्पष्ट है, हालांकि वे एक-दूसरे के साथ पूर्णतया सुसंगत नहीं हैं और उनमें से कुछ में तो परस्पर-विरोधी दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। एकल न्यायाधीशों अथवा खण्ड न्यायपीठों द्वारा विनिश्चित कुछ मामलों में यह दृष्टिकोण अपनाया गया था कि 'परिस्थितियां और सम्पत्ति' पर कर 'आय' पर कर है। **टाटा ऑयल मिलस कम्पनी लिमिटेड** बनाम **डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इलाहाबाद**[1], **वैस्टर्न यू० पी० इलैक्ट्रिक पॉवर एण्ड सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, इटावा** बनाम **टाउन ऐरिया, जसवन्त नगर**[2] तथा **रघुबीर सिंह** बनाम **टाउन**

---

[1] 1955 ए० एल० जे 630.

[2] ए० आई० आर० 1957 इलाहाबाद 433.

ऐरिया कमेटी[1] । किन्तु सही स्थिति वह स्थिति है जिसके प्रति उल्लेख मुख्य न्यायाधीश मलिक ने अपने पूर्ण न्यायपीठ के **डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ फरुखाबाद बनाम प्राग दत्त**[2] वाले मामले में दिए गए निर्णय में किया था । विद्वान् मुख्य न्यायाधीश ने सम्पत्ति पर कर के बीच आधारभूत प्रभेद पर जोर देते हुए इस मुद्दे पर विस्तृत रूप से विचार किया था । यह एक साधारण बात है कि आयकर मात्र आय पर उद्गृहीत किया जा सकता है, अर्थात् उसे ऐसी दशा में उद्गृहीत किया जा सकता है जिसमें कि निर्धारिती आय उद्ग्रहण करता हो । यदि कोई आय ही न हो, तो कोई आयकर नहीं हो सकता । दूसरी और, 'परिस्थितियां और सम्पत्ति' पर कर के मामले में सुसंगत विचार्य विषय अपने व्यापार या व्यवसाय में से निर्धारिती के कुल आवर्त के रूप में अथवा इस तथ्य के रूप में हो सकता है कि किसी सम्पत्ति में उसका हित विद्यमान है । यह विचार्य विषय सुसंसगत हो जाता है क्योंकि परिस्थितियों और सम्पत्ति पर कर एक ऐसा कर है जो कि मानो निर्धारिती की प्रास्थिति पर लगाया जाता है । उस कर को स्थानीय नाम और वास-स्थान देने की अपनी कोशिश में, सम्भवतः उसके प्रति विरोध को शान्त करने के लिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान् न्यायाधीशों ने इसे 'हैसियत पर कर' के रूप में वर्णित किया है जो कि जहां तक इसका सर्वोत्तम अनुवाद किया जा सकता है इससे 'प्रास्थिति' अभिप्रेत है । 'परिस्थितियां और सम्पत्ति' पर कर के उद्ग्रहण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आयकर अधिनियम के अर्थों में निर्धारिती के हाथों में आय होनी चाहिए । हो सकता है कि निर्गमों, कटौतियों, अग्रणीत हानियों, विकास रिबेट आदि के परिणामस्वरूप किसी निर्धारिती के पास कोई आय शेष न बचे जिसे कि आयकर अधिनियम के अधीन कराधेय किया जा सके । किन्तु किसी व्यक्ति पर उसकी हैसियत के बारे में परिस्थितियों और सम्पत्ति पर कर के अध्यधीन किया जा सकता है अर्थात् उस प्रास्थिति पर कर लगाया जा सकता है जिसे कि वह इस तथ्य के कारण धारण करता है कि वह किसी उपयोगी व्यवसाय का अनुसरण कर रहा है अथवा सम्पत्ति में हित धारण करता है । इसलिए, परिस्थितियों पर कर के प्रयोजनों के लिए किसी व्यष्टि की प्रास्थिति का अवधारण करते समय उसके कारबार अथवा व्यवसाय का कुल व्यापारावर्त युक्तियुक्त रूप से विचारगत किया जा सकता है ।

---

[1] 1961 ए० एल० जे० 743.

[2] ए० आई० आर० 1948 इलाहाबाद 382 (पूर्ण न्यायपीठ).

1980(3) eILR(PAT) SC 1

16. हो सकता है और प्राय: ऐसा होता है कि ऐसी आय के बारे में 'परिस्थितियों और सम्पत्ति' पर कर उद्‌गृहीत किया जाए जो कि निर्धारिती अपनी वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय अथवा सम्पत्ति से ग्रहण करता है। किन्तु यह कर की प्रकृति के बारे में निश्चायक नहीं है। यह मात्र सुविधा का विषय है कि कर का निर्धारण करने के लिए आय को माप-दण्ड अथवा माप-पान के रूप में अपनाया जाता है। जैसा कि **गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड ऐक्ट के अधीन निर्देश के मामले**[1] में बताया गया है कर की मात्र कर की प्रकृति की सही कसौटी नहीं है इसलिए किसी कर की प्रकृति का अवधारण करते समय, हालांकि जिस मानक पर कर उद्‌गृहीत किया जाता है वह एक सुसंगत विचार्य विषय हो सकता है, यह कोई विनिश्चायक विचार्य विषय नहीं होता। ऐसे मामलों में जैसा कि **गवर्नर जनरल इन काउन्सिल** बनाम **प्राविन्स ऑफ मद्रास**[2] में प्रिवी काउन्सिल द्वारा कथन किया गया है, हमें चाहिए कि हम कर के नाम पर विचार न करें, बल्कि उसकी वास्तविक प्रकृति को देखें, उसके निचोड़ और सार पर ध्यान दें जिससे कि इस बात का अवधारण निश्चित रूप से ही हो जाता है कि वह किस कोटि में आता है। इन कसौटियों को लागू करते हुए, परिस्थितियों पर कर "किसी मनुष्य की वित्तीय स्थिति, समूचे तौर पर उसकी प्रास्थिति पर कर की कोटि में आता है और इसके अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति भी आती है जिसे 'सम्पत्ति' पद के अधीन समाविष्ट सम्पत्ति नहीं किया जाता और साथ ही साथ उसे निर्धारण से बचने नहीं दिया जाना चाहिए।" यह उद्धरण मुख्य न्यायाधीश मलिक के निर्णय में आता है जो उन्होंने **डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ फरुखाबाद के मामले में**[3] पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चय में दिया था। जिस सूत्र के बारे में विद्वान् मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसी अन्य स्रोत से लिया गया प्रतीत होता है क्योंकि उन्होंने उसे उद्धरण चिह्नों के अन्तर्गत रखा है, समरूप पदों में है जिसे कि **पण्डित राम नारायण** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[4] वाले मामले में इस न्यायालय ने उद्‌धृत किया था। उस मामले में निर्धारिती ने यू० पी० टाउन ऐरियाज़ ऐक्ट, 1914 की धारा 14(1) (एफ) के अधीन परिस्थितियों पर कर के संदाय अपने दायित्व पर इस आधार पर आक्षेप किया था कि वह करहल नगर क्षेत्र समिति की अधिकारिता के भीतर निवास नहीं करता था और अधिनियम

---

[1] [1936] ए० सी० 352.

[2] [1944-45] 72 इण्डियन अपील्स 91, 99.

[3] ए० आई० आ० 1948 इलाहाबाद 382.

[4] [1956] एस० सी० आर० 664, 673.

1980(3) eILR(PAT) SC

की धारा 39(2) के अधीन विरचित नियम 3 अविधिमान्य था। इस न्यायालय ने **डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ फरुखाबाद वाले मामले**[1] में दिए गए विनिश्चय के प्रति अनुमोदन सहित निर्देश किया था, विशेष रूप से उस कथन के प्रति जिसमें यह उल्लिखित था कि कर का नामकरण महत्वहीन था और जिस बात पर विचार किया जाना चाहिए था वह उसका निचोड़ तथा सारांश था; न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया—

> " 'परिस्थितियां और सम्पत्ति' पर कर एक संश्रित कर है और 'परिस्थितियां' पद से किसी मनुष्य की वित्तीय प्रास्थिति, समूचे तौर पर उसकी हैसियत, जो कि अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार तथा कारबार से उसकी आय पर निर्भर करती हो अभिप्रेत है।"

17. प्रस्तुत मामले में अपीलाधीन पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चय अर्थात् **आर० आर० इंजिनियरिंग कम्पनी वाले मामले**[2] में यह अभिनिर्धारित करके कि यह आय पर कर नहीं है बल्कि मनुष्य की वित्तीय प्रास्थिति, समूचे तौर पर उसकी हैसियत पर कर है जो कि व्यापार अथवा कारबार से होने वाली उसकी आय पर निर्भर करता है, 'परिस्थितियां और सम्पत्ति' पर कर की प्रकृति के बारे में वही दृष्टिकोण अपनाया है। इससे पूर्व **जिला परिषद्, मुजफ्फरनगर बनाम जुगल किशोर**[3] में अन्य पूर्ण न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि 'परिस्थितियों और सम्पत्ति' पर कर आयकर से मूलभूत रूप से सुभिन्न है और उसे ऐसे आयकर के समतुल्य नहीं रखा जा सकता है जो संविधान की अनुसूची 7, सूची 1 की मद 82 के अन्तर्गत नहीं आता है और यह कि यह निश्चित रूप से सम्पत्ति पर कर सहित हैसियत अथवा वित्तीय प्रास्थिति पर कर है। इन विनिश्चयों में, सही रूप से 'परिस्थितियां और सम्पत्ति' पर कर की प्रकृति को वर्णित किया गया है। उनमें जो दृष्टिकोण अपनाया गया है उसकी पुष्टि हम करते हैं, विशेष रूप से इस बारे में कि पूर्वोक्त कर आय पर कर नहीं है।

18. किन्तु आक्षेपकृत कर आय पर कर नहीं है इस बात पर विचार करना आवश्यक नहीं है, तथापि इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या राज्य विधानमण्डल की यह विधायी सक्षमता के भीतर आता है और यदि ऐसा है तो वह किस प्रविष्टि के अधीन आयेगा। ऐसे अन्वेषण के मुख्यतया

---

[1] ए० आई० आर० 1948 इलाहाबाद 382.

[2] ए० आई० आर० 1970 इलाहाबाद 316.

[3] ए० आई० आर० 1969 इलाहाबाद 40.

1980(3) eILR(PAT) SC 1

दो कारण हैं : एक तो यद्यपि परिस्थितियों पर कर राज्य विधानमण्डल की विधायी सक्षमता के भीतर आता है, चूंकि वह सूची 2 की प्रविष्टि 60 के प्रति निर्देश किए जाने योग्य है जो कि वृत्तियों तथा व्यापारों, व्यवसायों तथा नौकरियों पर कर से सम्बन्धित है, यह संविधान के अनुच्छेद 276 (2) द्वारा विहित 250 रुपये की वार्षिक सीमा विहित की गई है, उससे अधिक नहीं हो सकता जब तक कि उस अनुच्छेद का परन्तुक लागू नहीं होता हो, दूसरे यदि कर राज्य की विधायी सक्षमता से परे है, चूंकि वह संश्रित कर है जिसे सुभिन्न संघटक भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इस बात की जांच करना आवश्यक होगा कि क्या 'कर' संविधान के अनुच्छेद 277 द्वारा व्यावृत्त है।

19. संविधान के अनुच्छेद 276 (1) में यह उपबन्ध किया गया है कि अनुच्छेद 246 में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के विधान-मण्डल की कोई विधि जो राज्य के फायदे के लिए अथवा नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी के फायदे के लिए करों से सम्बन्धित हो वृत्तियों, व्यापारों, व्यवसायों अथवा नौकरियों की बाबत इस आधार पर अविधिमान्य होगा कि वह आय पर कर से संबंधित है। उक्त अनुच्छेद के खण्ड 2 द्वारा किसी एक व्यक्ति द्वारा राज्य को अथवा किसी नगरपालिका, जिला बोर्ड, अथवा स्थानीय प्राधिकारी को जो कि राज्य में स्थित हो वृत्तियों, व्यापारों, व्यवसायों और नौकरियों पर कर है, के रूप में किसी एक व्यक्ति की बाबत संदेय कुल रकम दो सौ पचास रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस खण्ड के परन्तुक में यह कहा गया है कि यदि इस संविधान के प्रारम्भ होने से अव्यवहित पूर्व वित्तीय वर्ष में किसी राज्य अथवा किसी ऐसी नगरपालिका, बोर्ड या प्राधिकारी के मामले में वृत्तियों, व्यापारों, व्यवसायों अथवा नौकरियों पर कर की दर अथवा अधिकतम दर जो कि दो सौ पचास रुपये प्रति वर्ष से अधिक निकलती है तो ऐसा कर तब तक उद्गृहीत किया जाता रहेगा जब तक कि संसद् द्वारा विधि बनाकर तत्प्रतिकूल उपबंध न किया गया हो और संसद् द्वारा बनाई गई ऐसी कोई विधि या तो सामान्य रूप से अथवा किन्हीं विनिर्दिष्ट राज्यों, नगरपालिकाओं, बोर्डों अथवा प्राधिकारियों के संबंध में बनाई जा सकेगी।

20. सप्तम अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 49 'भूमियों और भवनों पर कर' से संबंधित है जब कि उसी सूची की प्रविष्टि 60 'वृत्तियों, व्यापारों, व्यवसाओं तथा नौकरियों पर कर है' से संबंधित है। चूंकि हमने

1980(3) eILR(PAT) SC 1

'परिस्थितियां और सम्पत्ति' पर कर की सही प्रकृति पर पहले ही विचार कर लिया है, इसलिए हमारी यह राय है कि यह किसी भी स्थिति में और कम से कम सूची 2 की प्रविष्टि 49 तथा 60 के प्रति निर्देशित की जा सकती है जिस वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय अथवा नौकरी कर अनुसरण कोई व्यक्ति करता है और जिन भूमियों तथा भवनों का स्वामित्व वह धारण करता है उनसे वह हैसियत अवधारित होती है जिसे कि वह धारण करता है। आक्षेपकृत कर एक संश्रित कर है और इसके संघटकों में से एक निर्धारितियों की 'परिस्थितियां' हैं। 'परिस्थितियों' से उसकी वित्तीय प्रास्थिति, समूचे तौर पर उसकी हैसियत अभिप्रेत है जो कि अन्य बातों के साथ-साथ भूमियों और भवनों से तथा उसके व्यापार और व्यवसाय से प्राप्त होने वाली उसकी आय पर निर्भर करती है। यह दृष्टिकोण **जिला परिषद् मुजफ्फरनगर और एक अन्य** बनाम **जुगलकिशोर रामस्वरूप और एक अन्य**[1] वाले मामले में उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा अपनाया गया था। न्यायाधिपति ब्रूम ने जिन्होंने कि न्यायालय की ओर से निर्णय सुनाया था, उस मामले में यह मत व्यक्त किया था कि कर के स्वयं नामकरण से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वह संश्रित प्रकृति का था और उसके भीतर दो संघटक विद्यमान थे, सम्पत्ति पर कर स्थावर सम्पत्ति पर कर पर्यन्त सीमित था और वह राज्य सूची की मद 49 के आधार पर राज्य विधानमण्डल की अधिकारिता के भीतर आता था जबकि परिस्थितियों पर कर अर्थात् हैसियत अथवा वित्तीय प्रास्थिति से मनुष्य के व्यापार, कारबार, वृत्ति अथवा नौकरी पर कर अभिप्रेत था जो कि राज्य सूची की मद 60 के अन्तर्गत आता था।

21. इस प्रश्न पर एक विशेष न्यायपीठ द्वारा, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीश शामिल थे, **दी नोटिफाइड ऐरिया कमेटी और एक अन्य** बनाम **श्री राम सिंहासन प्रसाद कलवर**[2] में विचार किया गया था। न्यायाधिपति एस० एन द्विवेदी, जिन्होंने विशेष न्यायपीठ का निर्णय सुनाया था, तीन कालावधियों के संदर्भ में आक्षेपकृत करके सम्पूर्ण इतिवृत्त को प्रस्तुत किया था : (1) 1935 वाले कांस्टिट्यूशन ऐक्ट से पूर्व की कालावधि; (2) 1935 और 1950 के बीच की कालावधि; तथा संविधानोत्तर कालावधि। कर की प्रकृति की ध्यानपूर्वक जांच करने के पश्चात् विद्वान न्यायाधीश ने स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया था—

---

[1] ए० आई० आर० 1969 इलाहाबाद 40.

[2] ए० आई० आर० 1970 इलाहाबाद 561.

"सारांश के रूप में 1935 के पश्चात् परिस्थितियों तथा सम्पत्ति पर कर का इतिवृत्त निश्चित रूप से यह दर्शित करता है कि यह कोई सुभिन्न तथा पृथक् अधिरोपण नहीं था। गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 तथा संविधान इसे संश्रित कर मानते हैं जैसा कि इसके नाम से सुझाव मिलता है। चूंकि इसके संघटक पहले ही किसी न किसी प्रविष्टि के अन्तर्गत आते हैं जो कि विधायी सूचियों में विद्यमान हैं, इसलिए जिस रूप में इसे प्रारूप में प्रगणित किया गया था उस रीति से इसे सूचियों में किसी प्रवर्ग के तौर पर प्रगणित नहीं किया गया।"

जिस निष्कर्ष पर विशेष न्यायपीठ पहुंची वह यह था कि 'परिस्थितियां और सम्पत्ति' पर कर एक संश्रित कर है, कि उसके संघटक विभिन्न हैं, किन्तु इनमें से दो संघटक प्रथमतया व्यापारों, व्यवसायों, वृत्तियों और नौकरियों पर कर हैं और दूसरे वे भूमियों और भवनों पर कर हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विद्वान न्यायाधीश ने **पण्डित राम नारायण वाले मामले**[1] में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का तथा **डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ फारुखाबाद वाले मामले**[2] में पूर्ण न्यायपीठ का अवलम्ब लिया। किन्तु विधायी प्राधिकारी की जो प्रचुरता थी और जिसे विशेष न्यायपीठ ने विरचित किया था वह महत्वपूर्ण है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी जैसी कि न्यायाधिपति ब्रूम ने **जिला परिषद, मुजफ्फरनगर वाले मामले**[3] में पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चय में कही थी कि परिस्थितियों और सम्पत्ति पर कर सूची 2 की दो प्रविष्टियों के प्रति निर्देश करता है अर्थात् प्रविष्टि 49 और 60। विशेष न्यायपीठ के अनुसार, यह कर सूची 2 में अन्य कतिपय मदों को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक था जैसे कि मद 58 जो कि 'पशुओं तथा नौकाओं पर कर' से संबंधित है। हमारी यह राय है कि विशेष न्यायपीठ ने उचित रूप से यह निष्कर्ष निकाला था। तदनुसार, हम उसके इस दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं कि "परिस्थितियां तथा सम्पत्ति" पर कर सप्तम अनुसूची की सूची 2 की मद 49 तथा 60 के प्रति निर्देशित की जा सकती है और अन्य मदों के अन्तर्गत वह उस सूची की मद 58 के प्रति निर्देशित की जा सकती है। इसलिए कर की विधिमान्यता को कायम रखना होगा।

---

[1] [1956] एस० सी० आर० 664.

[2] ए० आई० आर० 1948 इलाहाबाद 382.

[3] ए० आई० आर० 1969 इलाहाबाद 40.

22. ऐसा करते समय हम चेतावनी के रूप में कुछ शब्द कहेंगे। यह तथ्य कि आक्षेपकृत कर के संघटकों में से एक संघटक अर्थात् परिस्थितियों का संघटक प्रविष्टि 60 के अलावा अन्य प्रविष्टियों के प्रति निर्दिष्ट किया जा सकता है और उसके बारे में यह अर्थान्वयन नहीं किया जाना चाहिए कि वह स्थानीय प्राधिकारियों पर निःसीम मांग प्रदत्त करता है कि वे ऐसे निर्धारितियों पर जो कि उनकी अधिकारिता के अध्यधीन हो अननुपातिक रूप से अतिशय उद्ग्रहण अधिरोपित करे। परिस्थितियों पर अतिशय उद्ग्रहण आय पर कर तथा परिस्थितियों पर कर के बीच प्रभेद को अस्पष्ट बना देने की प्रवृत्ति रखता है। ऐसी दशा में, आय कर का मात्र माप-मान अथवा मापदण्ड नहीं होगा और वह स्वयं कर की विषयवस्तु बन जाएगी। इस निमित्त निर्बन्धन स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए प्रज्ञावान उपचार होगा।

23. अब केवल यह शेष रह जाता है कि हम आर० आर० इंजीनियरिंग कम्पनी वाले मामले[1] में न्यायाधिपति एम० एच० बेग द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को सही मानने में हम अपने आपको असमर्थ अभिव्यक्त करते हैं कि इस तथ्य के परिणामस्वरूप की परिस्थितियों और सम्पत्ति पर कर एक संश्रित कर है और चूंकि सम्पत्ति का तत्व निश्चित रूप से उस रचना के अन्तर्गत आ जाता है, इसलिए इस कर को वृत्तियों, व्यापारों, व्यवसायों अथवा नौकरियों पर कर के रूप में नहीं माना जा सकता। हमारा यह निष्कर्ष कि कर अन्य बातों के साथ-साथ सूची 2 की प्रविष्टि 49 तथा 60 के प्रति निर्देश करने योग्य है निश्चित रूप से इस परिणाम की ओर ले जाती है कि हम उस दृष्टिकोण को रद्द कर दें। विद्वान न्यायाधीशों की यह राय थी, जिससे कि हम सादर असहमत हैं, कि चूंकि परिस्थितियों और सम्पत्ति पर कर सप्तम अनुसूची की तीनों सूचियों में से किसी भी सूची में अभिव्यक्त रूप से प्रविष्टि के रूप में प्रगणित नहीं की गई है इसलिए वह अवशिष्ट प्रविष्टि अर्थात् सूची 1 की प्रविष्टि 97 के अधीन आती है। इस आधार पर उन्होंने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान का अनुच्छेद 277 कर से बचाएगा क्योंकि यह बात संसद की सक्षमता के भीतर है कि वह उसे अधिरोपित करे। जो दृष्टिकोण हमने अपनाया अर्थात् यह कि आक्षेपकृत कर सूची 2 में अन्य प्रविष्टियों के साथ-साथ प्रविष्टि 49 तथा 60 के आधार पर राज्य विधानमण्डल की सक्षमता के भीतर आता है इसलिए विद्वान न्यायाधीश

---

1 ए० आई० आर० 1970 इलाहाबाद 316.

की युक्ति के इस भाग को रद्द करना होगा। यह अनावश्यक और वस्तुत: त्रुटिजनक है कि 'परिस्थितियां और सम्पत्ति' पर कर से बचने के प्रयोजन के लिए संविधान के अनुच्छेद 277 का आश्रय लिया जाए। किसी कर का नाममात्र विधायी सक्षमता पर निर्भर नहीं करता और किसी विशिष्ट नाम द्वारा करके अभिव्यक्त रूप से प्रगणित किए जाने का अभाव इस बात को न्यायोचित नहीं ठहराएगा कि विधायी प्राधिकार की जांच को अवशिष्ट प्रविष्टि के रूप में माना जाएगा। जो बात अन्य अधिकारिताओं में सही है वह विधि की इस शाखा में भी सही है अर्थात् यह कि हमें चाहिए कि हम मामले के सार पर विचार करें, न कि उसके नाम पर। यहां हम इस बात का उल्लेख भी कर दें कि जहां तक नगरक्षेत्र समितियों का संबंध है अनुच्छेद 277 आक्षेपकृत कर से नहीं बचाएगा क्योंकि वह नगर क्षेत्र समिति द्वारा टाउन ऐरियाज़ ऐक्ट की धारा 14 के खण्ड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में उद्गृहीत किया गया था, जो अधिनियम संविधानोत्तर संसद द्वारा पुर:स्थापित किया गया था। हम दी नोटिफाइड एरिया कमेटी वाले मामले[1] में न्यायाधिपति एस० एन० द्विवेदी की युक्ति को स्वीकार करते हैं जिसके द्वारा विशेष न्यायपीठ ने आर० आर० इंजीनियरिंग कम्पनी[2] में इस आधार पर कि अवशिष्ट प्रविष्टि लागू होती है अनुच्छेद 277 के लागू किए जाने के बारे में दो विद्वान न्यायधीशों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से अभिव्यक्त रूप से असहमति व्यक्त की थी।

24. इन कारणों से, हम दोनों ही अपीलों में 'परिस्थितियों तथा सम्पत्ति पर कर' की विधिमान्यता को कायम रखते हैं और अपीलों को खर्चे सहित खारिज करते हैं।

अपीलें खारिज की गईं।

भू०

---

[1] ए० आई० आर 1970 इलाहाबाद 561.

[2] ए० आई० आर० 1970 इलाहाबाद 316.